

11.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। अपीलांटी अधिवक्ता अनुपस्थित  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मान  
पाया पूर्व आदेशिका 16.02.2024 के अनुसार अपील  
को एव अपीलांट अधिवक्ता को बार-बार आवाज लग  
गई। अवाज लगाने के उपरान्त  
असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। अपीलांट  
अपीलांट अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण  
अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क  
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

@amp